



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-14072026-274471
CG-UP-E-14072026-274471

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3642]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3642]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

रेल मंत्रालय

[पूर्वोत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

गोरखपुर, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3804(अ).— केन्द्रीय सरकार रेल (संशोधित) अधिनियम, 2008 की धारा 20 'च' की उपधारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिनियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिलों एवं स्तम्भ (4) में उल्लिखित राज्यों में छितौनी-तमकुही रोड नई लाइन परियोजना, विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन अनुरक्षण, प्रबंधन और परिचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) के उल्लिखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन के लिए "आर्बिट्रेटर" के रूप में प्राधिकृत करती है।

सारणी
विशेष रेल परियोजना

क०सं०	आर्बिट्रेटर	जिला	राज्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	प्रमंडलीय आयुक्त	पश्चिमी चंपारण (बेतिया)	बिहार
2.	जिलाधिकारी कुशीनगर	कुशीनगर	उत्तर प्रदेश

[फा. सं. W/Con/247/ CTE-TOI/NL/LA/Arbitrator]

अनुज मित्तल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Eastern Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Gorakhpur, the 13rd July, 2026

S.O. 3804(E).— In exercise of the powers conferred by Sub section (6) of section 20 (F) of the Railways (Amendment) Act 2008 the Central Government hereby authorizes the officer mentioned in column (2) of the table below as "Arbitrator" to perform the function as such authority under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of "Chhitauni Tamkuhi Road New Line Special Railway Project" in the districts mentioned in column (3) and in the states mentioned in column (4) of the said table for the public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

SCHEDULE

Special Railway Project

S.No.	Arbitrator	District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Divisional Commissioner	WEST CHAMPARAN (BETIA)	BIHAR
2	District Magistrate, KUSHINAGAR	KUSHINAGAR	Uttar Pradesh

[F. No. W/Con/247/ CTE-TOI/NL/LA/Arbitrator]

ANUJ MITTAL, Chief Administrative Officer/Construction